प्रस्तावना

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2015-16 में थल सेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य अभियंता सेवाएँ तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय की परियोजनाओं/स्कीमों की वित्तीय लेन-देन तथा निष्पादन समीक्षाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। 2015-16 के लिए रक्षा सेवाओं के वित्तीय और विनियोजन लेखाओं से उद्भूत मामले 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.34 (वित्तीय लेखापरीक्षा) में शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लेखित हैं जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए तथा जो पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगत हुए, किंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट नहीं किए जा सके; 2015-16 की परवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को भी जहाँ कहीं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की गई है।